20.11.24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय-पक्ष उपस्थित। बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र 212 रा.का.अ. पूर्व में सुनी जा चुकी है। मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा.का.अ. न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें उभय-पक्ष ने प्राथमिक विभाजन बाबत सहमति दी है। हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया। चक 1AWSM के खाता सं. 25/12 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के अनुसार प्रार्थी मोहनलाल अभिलिखित सहकाश्तकार है एवं विभाजन से पूर्व किसी भी सहकाश्तकार को संयुक्त आराजी में विशिष्ट भू-भाग का विक्रय आदि किया जा नहीं सकता है। विभाजनोपरान्त ही काश्तकार अपनी विशिष्ट भूमि का [illegible] सकता है जिसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के उपरान्त किया जा सकता है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.05 12:41:00 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्व प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति सुविधा का सन्तुलन तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने के कारण 17.05.2023 को जारी चक IAWSM के खाता सं. 25/12 में दर्ज आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.12.05 12:41:00 IST
Reason: SelfAttested